फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर (जोधपुर ग्रामीण)

अर्जुनसिंह पुत्र गायडसिंह वगेराह बनाम मागूसिंह पुत्र दुर्गसिंह वगैराह

किस्म मुकदमा – 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955 (मुकदमा नम्बर 80 / 2024) (सन् 2024)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
03.06.2024	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हनवन्तसिंह द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है। वक्त सैटलमेन्ट से वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगणों का कब्जा काश्त हैं। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी की भूमि को बेचान करने पर उतारू है जिससे रोका नही गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 03.07.2024 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा निम्बो का गांव पटवार हल्का निम्बो का गांव तहसील बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण के खसरा नम्बर 416 रकबा 9.14 बीघा की भूमि पर अप्रार्थीगण कब्जा एवं निर्माण कार्य नही करें। उक्त खसरे में चल रहे किसी भी प्रकार के रास्ते को उभयपक्ष अवरूद्व नही करें। आगामी पेशी तक उभयपक्ष मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त स्थगन आदेश सरकारी योजनाओं एवं राजकीय विभागो पर लागू नही होगा एवं उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करें। पत्रावली दिनांक 03.07.2024 को पेश	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.02.14 09:29:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बालेसर

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुई
11/12/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उपस्थित। पत्रावली मे बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन मूलभूत बिंदुओ पर पत्रावली का अवलोकन किया :– 1. प्रथम दृष्टतया मामला :– राजस्व रेकर्ड अनुसार वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगणो के नाम दर्ज है। प्रार्थीगणो द्वारा अपने प्रार्थना पत्र वक्त सेटलमेन्ट से अप्रार्थीगणो की भूमि पर कब्जा काश्त के तथ्य अंकित किये गये है जिससे वादीगणो द्वारा जरिये साक्ष्य मूल वाद मे सिद्व किया जाना है। अतः प्रथम दृष्टतया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होता है। 2. सुविध का संतुलन :–अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त भूमि के रेकार्ड खातेदार है। वादग्रस्त भूमि पर जो सुविधा अप्रार्थी प्राप्त कर सकता है वह सुविधा प्रार्थीगण जबतक रेकार्ड खातेदार नही हो जाते है तबतक प्राप्त नही कर सकते है परन्तु जबतक वाद न्यायालय मे विचाराधीन है अगर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौकी स्थिति मे परिवर्तन होता है तो इससे वाद की बहुलता बडेगी। अतः सुविधा का संतुलन आज के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी के पक्ष में सिद्व होता है। 3. अपूरनीय क्षति :– प्रार्थी द्वारा वाद मूल रूप से उक्त विवादग्रस्त भूमि मे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रार्थीगण को मूलवाद में सिद्व करना है परंन्तु राजस्व ऱेकर्ड में अगर किसी प्रकार का फेरबदल या वादग्रस्त आराजी का बैंचान होता है तो इसमें प्रार्थीगणो को अपूरणीय क्षति होगी। अतः उक्त स्थिति के तहत अपूरणीय क्षति का बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्धारित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उक्त बिंदुओं के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं मौजा निम्बो का गांव पटवार हल्का निम्बो का गांव तहसील बालेसर जिला जोधपुर ग्रामीण के खसरा नम्बर 416 की भूमि के राजस्व रेकर्ड पर अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक लागू की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Bhawani Singh Date: 2025.02.14 09:29:15 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी, बालेसर	